

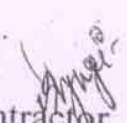
B-4
173

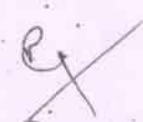
HAPUR-PILKHUWA DEVELOPMENT AUTHORITY, HAPUR

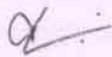
747
ABSTRACT OF CONTRACT BOND No.: /अधि०अमि०/अमि०/एचपीडीए/16

DATE: 31.5.2016

1-	Name of work	:	प्रीत विहार-द्वितीय योजना में चार मंजिलें 48 ई.डब्लू. एस. भवनों का निर्माण कार्य (पार्ट-ए)
2-	Name of Contractor	:	मै० एन०जी०टी० निर्माण प्रा०लि०
3-	Estimated Cost	:	रु० 1,65,73,820.54 लाख
4-	Tender Amount of work	:	रु० 1,68,55,575.48 लाख (बी०ओ०क्यू० के सापेक्ष 1.70 % उच्च पर)
5-	Amount and reference Earnest Money	:	Syndicate Bank HPDA Branch, Hapur Account No. 86283170000135 Rs. 632000-00
6-	Amount and reference of Additional Performance Guarantee	:	-Nil-
7-	Date of start	:	01.06.2016
8-	Date of Completion	:	31.05.2017


Contractor


Executive Engineer
Hapur-Pilkhuwa Development Authority
Hapur





हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65

वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda_1@rediffmail.com

5-7
B-3

टेण्डर आईडी नं०:- 2016-HPDA-23102-1

सेवा में,

मै० न्यू इण्डिया कन्स० क०
पार्टनर-श्री सुभाष चन्द शर्मा
380/15, कैलाशपुरी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: /अभि०/एच.पी.डी.ए./16

दिनांक:

विषय:- प्रीत विहार-द्वितीय योजना में चार मंजिलें 48 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण कार्य (पार्ट-बी)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्य हेतु अनुबन्ध सं० 726/अधि०अभि०/अभि०/एच०पी०डी०ए०/16 दिनांक 27.05.16 निविदाधनांक रू० 1,68,55,575.48 (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख पचपन हजार पाँच सौ पिछत्तर पैसा अड़तालीस मात्र) की कार्यवाही निष्पादित की जा चुकी है, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 28.05.16 एवं समापन तिथि 27.05.17 निर्धारित है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित कार्य के सन्दर्भ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 के अन्तर्गत :-

- 1- कार्यालय श्रम विभाग, हापुड़ में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
- 2- कार्य स्थल पर श्रमिकों से सम्बन्धित आवश्यक सुरक्षा उपायों तथा प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नीरज कुमार गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता

पृष्ठांकन: 745
प्रतिलिपि-

/अभि०/एच.पी.डी.ए./15-16

दिनांक: 27/5/16

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
2. सहायक श्रम आयुक्त, हापुड़ को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिकों का कार्यालय श्रम विभाग, हापुड़ में पंजीकरण कराने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता